[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 1/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख तारीख 1 जनवरी, 2018

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017-- संघ राज्यक्षेत्र कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का. नि. 648 (अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

(क) उप-वाक्य (i) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उप-वाक्य (iii) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 27 जून, 2017, को सा.का.नि. 648(अ), दिनांक 27 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1292(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।